केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

दिनांक. 12.02.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/44

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00034
CICOM/R/2019/00043

अपीलकर्ता : श्री अमर सिंह, पुत्र – श्री गणपत राम,
ग्राम व पो० – जाखल, जिला – झंझनू,
राजस्थान -333305.

निर्णय की तारीख : 12.02.2019

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 02.01.2019 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 30.01.2019 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री एस. एस. रोहिला |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 04.02.2019 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 62/11.02.2019 (8549/08.02.2019) |

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश/निर्णय का अनुपालन नहीं होने पर परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में सूचना मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें वांछित सूचना नहीं प्राप्त हुई है एवं प्रथम अपील के माध्यम से परिवाद दाखिल करने की जानकारी मांगी गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश/निर्णय का अनुपालन नहीं होने के कारण अपीलकर्ता अपीलकर्ता केन्द्रीय सूचना आयोग में नॉन-कम्पलायंस आवेदन दाखिल करना चाहते हैं, इसी संबंध में आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से जानकारी मांगी थी जिसे श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन को ठीक से समझ नहीं पाए । अपीलकर्ता के अनुरोध पर नॉन-कम्पलायंस प्रपत्र इस आदेश के साथ संलग्न है । अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि इस प्रपत्र को अच्छी तरह भरकर केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत करें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
12 FEB 2019
D. No.........
Initials.........